48/135 177 1041 10453/06 (4)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

255381

5 DEC

A.T.O.(TD.) TRY.LKO.

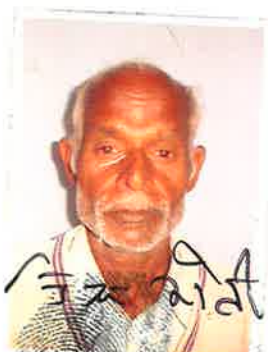

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	-	रू0 3,77,910/-
बाजारू मूल्य	-	रू0 2,24,400/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प	-	रू0 37,800/-

1.	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2.	परगना	-	बिजनौर
3.	ग्राम	-	निजामपुर मझिगवां
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 0.612

संदीप

उर्फ मोती

आदर्श [illegible], लखनऊ

दिनांक 7-12-6

मूल्य 25000- जनरल स्टाम्प

नाम [illegible]

ह०रा०

स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

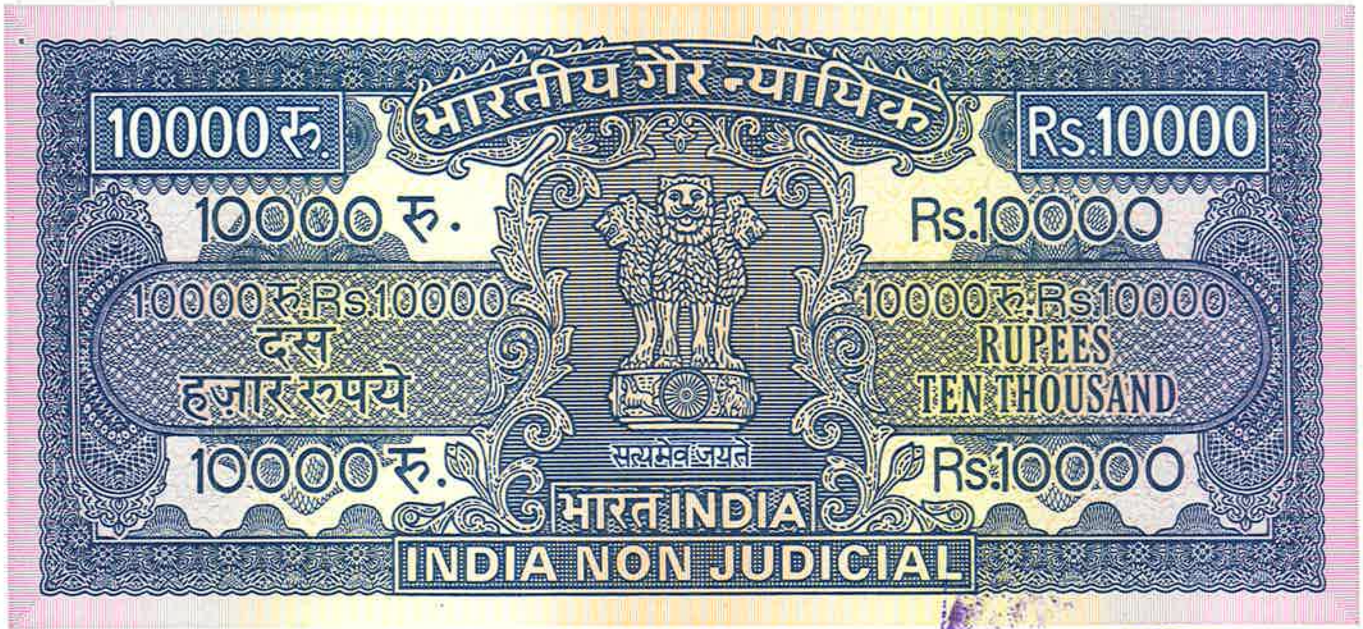

06AA 414854

A.T.O/T.O.
TRY.LKO

हेक्टेअर का 1/3 भाग अर्थात 0.204 हेक्टेअर स्थित ग्राम- निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.204 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	नहीं
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है ।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 143</u>

उत्तर : चकरोड व खसरा नं0-154,139

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 7-12-05

मूल्य 10000 जनरल स्टाम्प

नाम [illegible]

द्वारा

स० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 096092

दक्षिण : ग्रामसीमा देवामऊ
पूरब : खसरा नं0-144
पश्चिम : खसरा नं0-142 चकरोड

प्रथम पक्ष की संख्या- 3 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1.मोतीलाल पुत्र भगवानदीन 2. संदीप पुत्र नन्हू निवासीगण निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	सूरजदीन पुत्र सुकरू निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

संदीप
मोतीलाल
सूरजदीन

आदर्श कोषागार, लखनऊ

7-12-01

दिनांक 1000/-

मू ...... स्टाम्प

नाम ......

ह० ......

स० रोकड़िया   मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 096093

A.T.O/T.O. TRY.LKO. 4 DEC 2006

यह विक्रय विलेख **1.मोतीलाल पुत्र भगवानदीन 2. संदीप पुत्र नान्हू निवासीगण निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण** कहा गया है एवम् **सूरजदीन पुत्र सुकरू निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर** जिन्हें आगे **क्रेता** कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 0.612 हेक्टेअर का 1/3 भाग अर्थात 0.204 हेक्टेअर स्थित ग्राम- निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 7-12-06

मूल्य 1000/- रु. मूल स्टाम्प

नाम [illegible]

द्वारा

स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

500Rs.

काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00128 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 7-12-06

मूल्य 5000

नाम .... [illegible]

ह. रा ....

स० रोकड़िया मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 987563

5 DEC 2006

किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 **3,77,910/-** के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 987562

5 DEC 2006

दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने

लखनऊ

दिनांक 7-12-06

मूल्य 1000

स० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 987561

5 DEC 2006 A.T.O.(O.) TRY.LKO.

एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटिं के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल

[illegible], लखनऊ

दिनांक 7-12-01

[illegible] 100/- [illegible] स्टाम्प

[illegible]

सं० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम निजामपुर मझिगवां अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.204 हेक्टेअर की कुल मालियत 2,24,400/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **37,800/-** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

विक्रय पत्र

377,910.00/	225,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती मोतीलाल
पुत्र / पत्नी श्री भगवानदीन
पेशा कृषि
निवासी स्थायी निजामपुर मझिगवा लखनउ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 7/12/2006 समय 6:51PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के. शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
7/12/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती मोतीलाल
पुत्र/पत्नी श्री भगवानदीन
पेशा कृषि
निवासी निजामपुर मझिगवा लखनउ

क्रेता
श्री/श्रीमती सूरज दीन
पुत्र/पत्नी श्री सुकरू
पेशा व्यापार
निवासी मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

श्री/श्रीमती सदीप
पुत्र/पत्नी श्री नान्हु
पेशा कृषि
निवासी निजामपुर मझिगवा लखनउ

दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण को रू0 1,88,955/-द्वारा चेक संख्या- 471795 दिनांकित 07.12.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेतागण को रू0 1,88,955/-द्वारा चेक संख्या- 471796 दिनांकित 07.12.2006 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 3,77,910/- (रूपया तीन लाख सतहत्तर हजार नौ सौ दस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

नोट: पृष्ठ सं० 3 के सतर 6 व 5 के सतर 1 में मोती

लखनऊ: के बाद लाल पुत्र पेन से लिखा है।

दिनांक : 07.12.2006

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता

(मोनू कुमार)

सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(बैंकट रमन सिंह)

एडवोकेट

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार सिन्हा

पुत्र श्री जीसी सिन्हा

पेशा व्यापार

निवासी आर्यानगरलखनऊ

व श्री राममिलन यादव

पुत्र श्री बाबूलाल

पेशा व्यापार

निवासी नयापुरवा लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

7/12/2006

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील

जिला लखनऊ

खसरा सं 163

रकबा

संदीप

विक्रेता

प्रथम पक्ष

क्रेता

द्वितीय पक्ष

विक्रेता

Registration No 10453 Year : 2006 Book No. 1

0101 मोतीलाल

भगवानदीन

निजामपुर मझिगवा लखनउ

कृषि

0102 सदीप

नान्हु

निजामपुर मझिगवा लखनउ

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- मोती लाल नि० [illegible]

बांये हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

मोती लाल

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- संदीप नि० अर्जुन

बांये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हांथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

संदीप

क्रेता

Registration No. 10453 Year : 2006 Book No. 1

0201 **सूरज दीन**

सुकरू

मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बांये हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

बांये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हांथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

आज दिनांक **07/12/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **7970**

पृष्ठ सं. **335** से **360** पर कमांक **10453**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

7/12/2006